8

शिविर प्रभारी अधिकारी मंहगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 238/2022 दायर दिनांक–28.12.2022

1. नौरंगलाल पुत्र श्री छोटुराम जाति माली निवासी बांगोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़।

– वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र छोटुराम
2. मनोहरलाल पुत्र छोटुराम
3. गिरधारी पुत्र चुना समस्त जाति माली निवासीगण बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादीगण : **श्री सज्जन चाहर**
वकील प्रतिवादीगण : **एकपक्षीय**

दावा बाबत घोषणार्थ नक्शा दुरूस्तीकरण
अ.धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक–20.05.2023

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 50 पुराना 544 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2191/1963 रकबा 0.0185 है0 तथा खाता संख्या नया 725 पुराना खाता संख्या 52 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2192/1963 रकबा 0.1063 है0 तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 722 पुराना 50 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2195/1963 रकबा 1.31 है0, खाता संख्या नया 723 पुराना 50 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2194/1963 रकबा 0.3189 है0 तथा खाता संख्या नया 724 पुराना 50 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2193/1963 रकबा 0.1063 है0 स्थित है। वादी की खसरा भूमि नम्बर 2194/1963 जो नजरी नक्शे में दर्शित भूमि ए स्थान पर स्थित है और ए स्थान पर ही वादी व वादी के परिवार के सदस्यों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2193/1963 जो बी स्थान पर है वह प्रतिवादीगण संख्या 2 की भूमि है और बी स्थान पर ही प्रतिवादीगण संख्या 2 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2192/1963 जो प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि है जो नजरी नक्शे में सी स्थान पर दर्शाई गई भूमि है वह प्रतिवादी नं0 1 का परिवार व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में है। खसरा नम्बर 2195/1963 जो प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि है जो नजरी नक्शे में डी बिन्दु से दर्शाई गई भूमि है व खसरा नम्बर 2191/1963 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की शामलाती भूमि है जो नजरी नक्शे में गलती करके नक्शा वादी व प्रतिवादीगण का उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्शित करना चाहिए था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से पश्चिम दिशा में दर्शित कर दिया खसरा नम्बर और कब्जा का कोई विवाद नही है व रकबा का भी कोई विवाद नही है। वादी व प्रतिवादीगण उक्त नक्शे को दुरूस्त करवाने में सहमत है इसलिए मौके के अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है इसलिए [illegible] रिकॉर्ड में नक्शा घोषणा व नक्शा दुरूस्ती का दावा श्रीमान की सेवामें पेश करना अ[illegible]है। वादी व प्रतिवादीगण अपने रकबे में मौके पर निर्विवाद रूप से आबाद है [illegible] दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा पेशकर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर न्यायालय हाज[illegible]की बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्नानुसार सादिर फरमायी ज[illegible]कि :– ग्राम बागोरियां की [illegible]र हल्का चिराना की सरहद में स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 2194/1963 जो नजरी नक्शे में दर्शित भूमि A स्थान पर स्थित है और A स्थान पर ही वादी व वादी के परिवार के सदस्यों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2193/1963 जो B स्थान पर है वह प्रतिवादीगण नं0 2 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2192/1963 जो प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि है जो नजरी नक्शे में C स्थान पर दर्शाई गई भूमि है वह

शिविर प्रभारी
[illegible] 2023, पं.स. [illegible]

प्रतिवादी नं0 1 का परिवार व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में है। खसरा नम्बर 2195/1963 जो प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि है जो नजरी नक्शे में D बिन्दु से दर्शाई गई भूमि है व खसरा नम्बर 2191/1963 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की शामलाती भूमि है जो नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें व घोषणा की जावें तथा नक्शे की घोषणा व दुरूस्ती के आदेश की तहरीर तहसीलदार नवलगढ़ को भेजी जावें।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 को दिनांक 19.05.2023 को स्वयं उपस्थित होकर लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादी की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेज नजरी नक्शा प्रदर्श– 1, नकल जमाबंदी खाता संख्या 2191/1963 प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी खाता संख्या 2192/1963 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी खाता संख्या 2195/1963 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी खाता संख्या 2194/1963 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी खाता संख्या 2193/1963 प्रदर्श 6 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित कराये।

राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया तथा वाद–पत्र के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 2194/1963 जो नजरी नक्शे में दर्शित भूमि A स्थान पर स्थित है और A स्थान पर ही वादी व वादी के परिवार के सदस्यों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2193/1963 जो B स्थान पर है वह प्रतिवादीगण नं0 2 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2192/1963 जो प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि है जो नजरी नक्शे में C स्थान पर दर्शाई गई भूमि है वह प्रतिवादी नं0 1 का परिवार व प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे में है। खसरा नम्बर 2195/1963 जो प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि है जो नजरी नक्शे में D बिन्दु से दर्शाई गई भूमि है व खसरा नम्बर 2191/1963 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की शामलाती भूमि है जो नजरी नक्शे में E बिन्दु से दर्शित है जिसको नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तथा नक्शे की घोषणा व दुरूस्ती आवश्वयक व न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण के मौके पर बंटवारे व कब्जा काश्त को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बंटवारे के अनुसार नक्शे में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम को सुधार करने हेतु नजरी नक्शे में प्रर्दशित A, B, C, D, E मार्क के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए वादी व प्रतिवादीगण आपस में राजीरजा है, किसी प्रकार का कोई विवाद, लडाई झगड़ा नहीं है। इसलिये उक्त राजस्व रिकॉर्ड में जो नक्शा चल रहा है, को संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित प्रतीत होता है जिसको स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादीगण संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय को अभिन्न भाग रहेगा।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण मुताबिक सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 2194/1963, खसरा नम्बर 2193/1963, खसरा नम्बर 2192/1963, खसरा नम्बर 2195/1963 तथा खसरा नम्बर 2191/1963 भूमि के संबंध में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसको A,B,C,D,E मार्क से दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा प्रर्दशित A,B,C,D,E मार्क के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बरान से कम हो [illegible] जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:58:38 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभि. 2023, पं.स. नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ नक्शा दुरूस्तीकरण

मुकदमा सं0:– 238 / 2022 **(नौरंगलाल बनाम कुरड़ाराम)**

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.05.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 2194 / 1963, खसरा नम्बर 2193 / 1963, खसरा नम्बर 2192 / 1963, खसरा नम्बर 2195 / 1963 तथा खसरा नम्बर 2191 / 1963 भूमि के संबंध में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसको A,B,C,D,E मार्क से दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा प्रर्दशित A,B,C,D,E मार्क के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत वं मुहर अदालत से ओज तारीख 20.05.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.(फा.ट्रे.) नवलगढ़
शिविर प्रभारी … मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:58:38 IST
Reason: SelfAttested

आ०मि०
प्र 19/5/23

राजी-नामा

आज दिनांक 19/5/2023 को महंगाई राहत कैम्प बागोरिया की ढाणी में मु० नं० 238/2022 में हम नौरंगलाल कुरड़ाराम मनोहरलाल पि० छोटूराम जाति माली निवासी बागोरिया की ढाणी सहमति से राजी नामा पेश करते हैं। कि प्रस्तुत वाद पत्र में पेश नजरी नक्शे में अंकित ख० नं० 2191/1963 नौरंगलाल व कुरड़ाराम व मनोहरलाल का है। खाता नं० 50 है। व ख० नं० 2192/1963 नौरंगलाल की है, व ख० नं० 2193/1963 मनोहरलाल की है। व ख० नं० 2194/1963 कुरड़ाराम की है। व ख० नं० 2195/1963 गिरधारी का है। इसी प्रकार काश्त काबिज है। का नक्शा में दुरस्ती करना करने पर सहमत हैं। जो दावा के सबूत रहे।

हस्ताक्षर नौरंगलाल

कुरड़ाराम

नौरंगलाल

अ० नि० गिरधारी

अ० नि० गिरधारी

अ० नि० मनोहर लाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:58:38 IST
Reason: SelfAttested

राजेन्द्र सैनी
सरपंच
ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी
पं. स. नवलगढ़ झुन्झुनू (राज.)

उभय पक्ष में एक लिखित राजीनामा [illegible] राहत कैम्प 2023 ग्राम पंचायत बागोरियों की ढाणी में प्रस्तुत हुआ। उभय पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत बागोरियों की ढाणी द्वारा की गई। राजीनामा उभय पक्ष को पढ़कर सुनाया गया। राजीनामा सही होना स्वीकार किया गया। राजीनामा आज दिनांक 19/5/23 को मेरे द्वारा तस्दीक किया गया।

(हस्ताक्षर)
19/5/23
शिविर प्रभारी
बागोरियों की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:58:38 IST
Reason: SelfAttested